131

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3562–एक/13 विरूद्ध आदेश, दिनाक 16–9–2013 पारित द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 04/12–13 स्व0निगरानी

1 जीत सिंह
2 योगेन्द्र सिंह
3 शैलेन्द्र सिंह
पुत्रगण लज्जाराम जाति ठाकुर
4 कृष्णपाल सिंह पुत्र रतन सिंह
5 सुनीता पत्नी महेश सिंह
6 संगीता पत्नी महेन्द्र सिंह
7 सुमीना पत्नी ओम प्रताप सिंह
8 सतेन्द्र
9 महेन्द्र सिंह
10 ओम प्रताप
पुत्रगण रामरतन सिंह
11 लोकेन्द्र सिंह
12 देवेन्द्र सिंह
13 आदित्य सिंह
पुत्रगण जण्डेल सिंह
14 विश्वनाथ सिंह
15 शिवप्रताप सिंह
पुत्रगण राजेन्द्र सिंह
16 श्रीमती रानी पत्नी रामदास ठाकुर
17 शिवओम पुत्र ओमकार सिंह
18 रामा पत्नी शिवओम
19 लक्ष्मण सिंह
20 मोती सिंह
पुत्रगण बाबू सिंह
21 पुत्तू सिंह पुत्र कप्तान सिंह
22 बाबू सिंह पुत्र हवलदार सिंह
23 इन्द्रपाल सिंह पुत्र हमीर सिंह
24 श्रीमती सावित्री पत्नी इन्द्रपाल
25 होशियार सिंह पुत्र कप्तान सिंह

26 शांतिशरण पुत्र कप्तान सिंह
27 सीमा उर्फ रामा पुत्री शांतिशरण
28 गुड्डी पुत्री कप्तान सिंह
29 सतेन्द्र
30 जीतेन्द्र
पुत्रगण रामप्रकाश सिंह
31 उदय सिंह पुत्र कप्तान सिंह
32 विनोद सिंह
33 रंजीत सिंह
34 योगेश सिंह
35 भूपेन्द्र सिंह
पुत्रगण गुंधी सिंह
सभी जाति ठाकुर समस्त निवासीगण ग्राम
सिहोरी तहसील जौरा जिला मुरैना म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 म0 प्र0 शासन
2 राजवीर सिंह पुत्र जंगजीत सिंह
3 मोहर सिंह पुत्र सीताराम
4 करतार सिंह पुत्र श्री कृष्ण
निवासीगण ग्राम इमिलिया तहसील जौरा
जिला मुरैना म0 प्र0

–अनावेदकगण

श्री एस0 पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19-12-2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 04/12–13/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–9–13 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिहोरी तहसील जौरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1264/3 रकबा 3.12 हैक्टेयर आवेदक जीत सिंह, योगेन्द्र, शैलेन्द्र सिंह पुत्रगण लज्जाराम सर्वे कमांक 1289 रकबा 1.25 सर्वे कमांक 1306 में से रकबा 3.15 कुल रकबा 4.40 एवं सर्वे कमांक 1324 रकबा 0.07, 1328 रकबा 0.26 सर्वे कमांक 2071/6 में से रकबा 1.83, 2193 रकबा 0.09 कुल रकबा कृष्ण पाल सिंह पुत्र रामरतन सिंह, सुनीता पत्नी महेश सिंह, संगीता पत्नी महेन्द्र सिंह, सुमीना पत्नी ओमप्रताप सिंह, सतेन्द्र, महेन्द्र सिंह ओमप्रताप सिंह पुत्रगण रामरतन सिंह ठाकुर निवासी ग्राम सिहोरी सर्वे कमांक 1306 में से रकबा 3.15 लोकेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह एवं आदित्य सिंह पुत्रगण जण्डेल सिंह समस्त जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम सिहोरी सर्वे कमांक 1308 रकबा 2.10 एवं सर्वे 2104 रकबा 0.09 कुल किता 2 कुल रकबा 2.19 लक्ष्मण सिंह मोती सिंह पुत्रगण बाबू सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सिहोरी तहसील जौरा जिला मुरैना सर्वे कमांक 1308 में से रकबा 1.05 पुत्तू सिंह पुत्र कप्तान सिंह सर्वे 1308 रकबा 1.90 सर्वे कमांक 1359/2 रकबा 0.10 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर बाबूसिंह पुत्र हवलदार सिंह, सर्वे कमांक 1818 रकबा 0.02 सर्वे कमांक 1819 में से 0.31 सर्वे कमांक 2099 रकबा 0.25 सर्वे कमांक 1308 में से रकबा 2.73 कुल किता 4 कुल रकबा 3.31 इन्द्रपाल सिंह पुत्र हमीर सिंह, श्रीमती सावित्री पत्नी इन्द्रपाल सिंह सर्वे कमांक 1308 में से रकबा 1.05 होशियार सिंह पुत्र कप्तान सिंह सर्वे कमांक 1308 में से रकबा 3.15 शांतिशरण पुत्र कप्तान सिंह, सीमा उर्फ रामा पुत्री शांतिशरण, गुड्डी पुत्री कप्तान सिंह सर्वे कमांक 1308 में से रकबा 1.05 सतेन्द्र सिंह , जितेन्द्र सिंह पुत्रगण रामप्रकाश सिंह , सर्वे कमांक 1308 में से रकबा2.15 उदय सिंह पुत्र कप्तान सिंह , सर्वे कमांक 1308 में से रकबा 3.15, 1502 रकबा 0.02 कुल किता 2 कुल रकबा 3.17 विनोद सिंह, रंजीत सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्रगण गुन्धी सिंह समस्त जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम सिहोरी तहसील जौरा जिला मुरैना के पक्ष में तहसीलदार जौरा के प्रकरण कमांक 02/04–05/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 13–9–2005 द्वारा व्यवस्थापन किया गया । उक्त व्यवस्थापन को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा द्वारा त्रुटिपूर्ण

पाते हुए अपने प्रतिवेदन कमांक 2672/रीडर/2012 दिनांक 31–8–12 प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी जौरा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकगण को नोटिस जारी किये जाकर उत्तर प्राप्त किया गया । कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 04/12–13/स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–9–13 द्वारा अनावेदकगण की निगरानी स्वीकार की एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–9–2005 निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए भूमि का व्यवस्थापन किया गया है । आवेदकगण भूमिहीन व्यक्ति हैं और उनका भूमि पर 1984 के पूर्व से निरंतर कब्जा चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल जांच कराए बिना आवेदकगण के हित में किए भूमि के व्यवस्थापन को निरस्त किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अवैधानिक तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है अतः विचारण न्यायालय की कार्यवाही को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में है । विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकों को भूमि का व्यवस्थापन किया गया, जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रकरण राजस्व वृत्त बागचीनी का है जबकि आवेदकों द्वारा राजस्व वृत्त 4 पहाड़गढ़ में प्रकरण दर्ज कराया गया है । उन्होंने यह भी पाया है कि आवेदकों का अभिलेख में अतिक्रमण का इंद्राज भी नहीं है और ना ही उनके द्वारा

ऐसे कोई दस्तावेज पेश किये गये हैं । विद्वान कलेक्टर ने अपने आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा की गई अनेक त्रुटियों का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि अभिलेख से होती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर ने विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 13–9–2005 को निरस्त कर भूमि को पूर्ववत शासकीय दर्ज करने के आदेश दे में कोई विधिक एवं न्यायिक त्रुटि नहीं की है । कलेक्टर का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने येाग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–913 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर